झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/16/17 – 68 ,राँची/दिनांक:13/07/2017

झारखण्ड अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 {Jharkhand Engineering Entrance Competitive Examination - 2017} के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

दिनांक 13.05.2017 को आयोजित झारखण्ड अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 के आधार पर दिनांक 07.06.2017 से दिनांक 15.06.2017 तक आयोजित प्रथम् साक्षात्कार के दौरान पर्षद द्वारा नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के संबंधित संस्थानों में नामांकनोपरांत रिक्त सीटों पर अनुशंसा भेजने के लिये द्वितीय साक्षात्कार दिनांक 20.07.2017 से लिया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से की जायेगी। संस्थानवार/शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix of of Engineering" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/शाखा/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

2. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट/शाखा/संस्थान के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति या संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं। संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सीट/शाखा/संस्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण–पत्र की संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

3. उपरोक्त कंडिका के अतिरेक अन्य सभी अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र **(ग)** झारखण्ड अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2016 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा (F.I.R.) की प्रति}, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी

(असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ङ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) {अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।}, **(च)** सैन्य कर्मचारी कोटा (एस॰एम॰क्यू॰) का लाभ लेने हेतु सक्षम सैन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक के आश्रितों के लिए) या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (सेवानिवृत सैनिक के आश्रितों के लिए), **(छ)** विकलांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल प्रमुख द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा पूरे शरीर का एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ, **(ज)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति–रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/शाखा/संस्थान का औपबंधिक आवंटन इस शर्त्त के साथ ही किया जायेगा कि नामांकन के समय वे संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे अन्यथा उनका औपबंधिक आवंटन आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा।

नोट (a):– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् दृष्टया रिपोर्ट(F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् दृष्टया रिपोर्ट(F.I.R.) मान्य नहीं होगा।

4. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य(Essential)है।**

5. **निःशुल्क शिक्षा योजना**–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा सभी संस्थानों के शाखावार स्वीकृत सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उक्त आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र, साक्षात्कार के समय, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभातशिप (AICTE) के प्रावधानानुसार सभी श्रोतों से अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा रू0 6 लाख किया गया है। **निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत कर्णांकित सीटों पर आबंटन संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।** इन सीटों का कोटि/कोटावार आरक्षण से कोई संबंध नहीं है।

6. साक्षात्कार प्रक्रिया से संबंधित नियमों, निर्देशों एवं सूचनाओं हेतु मार्ग–निर्देशिका की कण्डिका 19 एवं 20 देखें, जिसका अनुपालन साक्षात्कार के समय किया जाएगा।

7. <u>साक्षात्कार शुल्क</u> :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

<u>साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-</u>

<u>क)</u> साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट <u>http://jceceb.jharkhand.gov.in</u> पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है। **या**

<u>ख)</u> साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट <u>http://jceceb.jharkhand.gov.in</u> पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी। **या**

<u>ग)</u> साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

<u>नोट (b):-</u> साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

<u>8.</u> <u>सीट/शाखा/संस्थान आबंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि</u> :- अभ्यर्थियों को संस्थान में शाखा अंतर्गत सीट आबंटन कराने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क के रूप में ₹ 1,000/- की राशि ली जायेगी। प्रथम् साक्षात्कार के माध्यम से नामांकित अभ्यर्थियों से यह राशि नहीं ली जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा यह राशि निम्न माध्यम से जमा किया जा सकता है:-

<u>क)</u> आंशिक नामांकन शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेबसाईट <u>http://jceceb.jharkhand.gov.in</u> पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। आंशिक नामांकन शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है। **या**

<u>ख)</u> किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट जो "Controller of Examination, JCECEB" के पदनाम से देय तथा Ranchi में भुगतेय होना चाहिए। **या**

<u>ग)</u> आंशिक नामांकन शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

<u>नोट (c)</u>:—साक्षात्कार के समय बैंक चालान(Bank Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या डिमान्ड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट/शाखा/संस्थान आवंटन नहीं किया जायेगा जिसके लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। यह शुल्क, साक्षात्कार शुल्क के अतिरिक्त होगा।

<u>नोट (d)</u>:—यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट/शाखा/संस्थान आबंटन के उपरान्त, निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है या नामांकन के उपरान्त नामांकन वापस (Admission Withdraw) करा लिया जाता है तो, यह राशि पर्षद द्वारा ग्रहित (Seize) कर ली जायेगी।

पर्षद द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के उपरान्त, अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लेने एवं संबंधित संस्थान द्वारा नामांकन की संपुष्टि के आलोक में यह राशि अभ्यर्थी के नामांकन शुल्क मद में सामंजन हेतु अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को भेज दी जायेगी।

<u>9.</u> आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

<u>10.</u> <u>साक्षात्कार स्थल</u> :— झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

<u>11.</u> <u>दिनांक 20.07.2017 से दिनांक 26.07.2017 तक का साक्षात्कार</u>, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC–I/BC-II/TFW/PH के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/शाखाओं/संस्थानों के साथ—साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित सीटों/शाखाओं/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। <u>अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण—पत्र अवश्य लावें।</u>

<u>12.</u> झारखण्ड अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा — 2017 के परीक्षाफल के आधार पर सरकारी एवं गैर—सरकारी संस्थानों में स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम (B.E./B.Tech. Course) के प्रथम् सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश हेतु मार्ग—निर्देशिका (Information Bulletin) की कण्डिका 19.2 (Point No. 1) के आलोक में अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। विकलांग कोटा के अन्तर्गत सीटें सिर्फ सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण संस्थानों में ही उपलब्ध है।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी :—

12.2 As per PH Rank (विकलांग मेधाक्रमानुसार)			
Disability Code	PH Rank Range		Counselling Date & Time
	From	To	
1	1	19	20.07.2017/10:00 AM
2	1	6	
3	1	42	

नोट (e):– विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन के उपरान्त,यदि विकलांगों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची के पत्रांक वि0प्रा0/छा0ना0–02/14–450 दिनांक 30.05.17 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार, रिक्त बचे विकलांग सीटों को संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार, निम्न कार्यक्रमानुसार संचालित किया जायेगा।

12.3: As per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार)

CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	400	20.07.2017/11:00 AM	401	800	20.07.2017 / 01:00 PM
801	1,400	21.07.2017/10:00 AM	1,401	2,000	21.07.2017 / 01:00 PM
2,001	3,750	24.07.2017/10:00 AM	3,751	5,500	24.07.2017 / 01:00 PM
5,501	8,000	25.07.2017/10:00 AM	8,001	10,500	25.07.2017 / 01:00 PM
10,501	13,500	26.07.2017/10:00 AM	13,501	16,271	26.07.2017 / 01:00 PM
All SMQ Candidates		26.07.2017/04:00 PM			

नोट (f):– उपरोक्त सूची में सम्मिलित एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को कोटा का सीट, एस0एम0क्यू0 कोटा हेतु निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही, प्राथमिकता कोड के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अगर वे चाहें तो संयुक्त मेधाक्रमानुसार सम्मिलित होकर उपलब्ध सीटों/शाखाओं/संस्थानों में से मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट आबंटन करा सकते हैं। बेहतर विकल्प हेतु एस0एम0क्यू0 कोटा के लिये आयोजित साक्षात्कार के दिन भी सीट/शाखा/संस्थान का पुर्नआबंटन करा सकते हैं।

13. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/शाखा/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

14. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

15. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 12 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। इस सूचना के आधार पर ही वे निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा मार्ग–निर्देशिका की कण्डिका 20 (Point No. 3) के अनुसार चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

16. अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय सीट/शाखा/संस्थान का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में, एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़कर, दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 0651–6999170 / 6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19. प्रेस में मुद्रण की अशुद्धियों के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

13/7/17

(सुरेन्द कुमार, मा०प्र०से०)
परीक्षा नियंत्रक
13.7.17

ज्ञापांक : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰ / 16 / 17 – 554 ,राँची / दिनांकः 13 / 07 / 2017

प्रतिलिपिः–

परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/7/17

परीक्षा नियंत्रक
13.7.17